न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 62/2020

प्रार्थीनी

1. मोहनकंवर पत्नी विजयसिंह
   जति राजपूत निवासी ग्राम राखी तहसील समदडी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. उप पंजीयक अधिकारी समदडी
2. पटवारी हल्का राखी तहसील समदडी
3. विजयसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी राखी तहसील समदडी
4. मनोहरकंवर धर्म पत्नी विजयसिंह जाति राजपूत निवासी समदडी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :–

1. श्री जसबन्तसिंह अधिवक्ता प्रार्थीनी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 18/09/20

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी विप्रार्थी संख्या 03 विजयसिंह की धर्म पत्नी है। विप्रार्थी संख्या 03 विजयसिंह ने ग्राम राखी के खेत खसरा नम्बर 1199 का रकबा 11–18 बीघा किस्म रेतली भूमि जरिये वख्शीशनामा पंजीयन डीड से दिनांक 12.03.2019 को अपनी धर्मपत्नी अर्थात प्रार्थीनी मोहनकंवर के नाम पर करवाई गई। बाद पंजीयन उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति हल्का पटवारी को माफिक बख्शीशनामा नामान्तरण हेतु दी गई। हल्का पटवारी राखी ने राजस्व रेकर्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 1935 दिनांक 20.04.2019 के अमलदरामद कर मोहनकंवर पत्नी विजयसिंह के स्थान पर मनोहरकंवर पत्नी विजयसिंह दर्ज कर दिया जो हल्का पटवारी ने सेवन से गलत दर्ज किया है। जिसे दुरूस्त करने हेतु प्रार्थीनी ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दिनांक 11.08.2020 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। विप्रार्थी संख्या 03 द्वारा प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्यों को स्वीकार कर उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी का नाम शुद्ध किये जाने हेतु इकबाली जबाव प्रस्तुत किया। भूमि धारक तहसीलदार समदडी ने अपनी रिर्पोट में अवगत कराया कि ग्राम राखी के खाता संख्या 420 खसरा नम्बर 1199 रकबा 11–18 बीघा में जरिये बक्खशीश दस्तावेज संख्या 201903132100326 दिनांक 12.03.2019 के तहत विजयसिंह पुत्र सुल्तानसिंह के द्वारा मोहनकंवर पत्नी विजयसिंह को वख्शीश की गई जिसकी पालना में नाम[illegible] दिनांक 20.04.2019 में लिपिकीय त्रुटिवश मोहनकंवर के स्थान पर [illegible] दर्ज हो गया, जो शुद्ध किया जाना उचित है। स[illegible] ग्राम पंचायत [illegible] द्वारा यह प्रमाणित

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2020.10.02 13:50:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

किया है कि मनोहरकंवर पत्नी विजयसिंह जाति राजपूत निवासी राखी के नाम से राखी ग्राम में कोई व्यक्ति नहीं हैं।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। विप्रार्थी संख्या 03 द्वारा प्रार्थीनी के पक्ष में निस्पादित वख्शीश पत्र क्रमांक 201901132000516 दिनांक 12.03.2019 का अवलोकन किया जिससे वख्शीशकर्ता विजयसिंह पुत्र सुल्तानसिंह राजपूत निवासी राखी द्वारा ग्राम राखी के खेत खसरा नम्बर 1199 का सम्पूर्ण रकबा 11–18 बीघा का श्रीमती मोहनकंवर धर्मपत्नी विजयसिंह के पक्ष में निस्पादित करने की पुष्टि होती है। उक्त दस्तावेज में प्रार्थीनी का नाम मोहनकंवर अंकित है। उक्त वख्शीश–पत्र का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु पारित नामान्तरणकरण संख्या 1035 दिनांक 20.04.2019 का अवलोकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि उक्त नामान्तरकरण में मोहनकंवर के स्थान पर भूलवंश हल्का पटवारी राखी द्वारा मनोहरकंवर पत्नी विजयसिंह अंकित किया गया है। अतः उक्त अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि मौजा राखी पटवार क्षेत्र राखी तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 1199 रकबा 11–18 बीघा के राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 1035 दिनांक 20.04. 2019 द्वारा अंकित अशुद्ध नाम "मनोहरकंवर पत्नी विजयसिंह" के स्थान पर "मोहनकंवर पत्नी विजयसिंह" शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा उक्त गलत पृविष्टि के लिये दोषी कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने हेतु तहसीलदार समदडी को आदेशित किया जाता है। आदेश की पालना भूमिधारक तहसीलदार समदडी में एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 18/09/20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2020.10.02 13:50:11 IST
Reason: SelfAttested